राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/01/232-B/2020-KSP

जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के साथ दिनांक 04.09.2020 की सुनवाई का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित सदस्य व अधिकारीगण:-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री देवेश श्रीवास्तव, सीएमडी, जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड
3. श्री बी. के. पति, उप सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
4. श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभाग, जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड
5. श्री नागो सोनावालेन, लाईसन ऑफिसर, जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- कार्यवाही शुरु की जाये।

श्री देवेश श्रीवास्तव, सीएमडी, जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन: - जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- मीटिंग में कौन कौन शामिल हुए हैं?

श्री देवेश श्रीवास्तव, सीएमडी, जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन: - हमारे कुलिग है श्री त्रिपाठी जो जनरल मैनेजर हैं और इस विभाग के मुख्य हैं। और मैं खुद देवेश श्रीवास्तव, सीएमडी हूँ और हमारे कुलिग है श्री रामाकृष्णा, एचआर विभाग में हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- जीआईसी का गठन कब हुआ था?

श्री देवेश श्रीवास्तव, सीएमडी, जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन: - सर इसका गठन 1972 में हुआ था

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- इसमें ओबीसी का रिजर्वेशन कब से लागू है?

श्री देवेश श्रीवास्तव, सीएमडी, जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशनः - इसमें रामकृष्ण साहब आप बता सकते हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- आप वो डेट बता सकते है रामाकृष्णा साहब।

श्री देवेश श्रीवास्तव, सीएमडी, जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशनः - सर हम नोट कर लेते है exact date हम आपको बता देंगे, कब से लागू किया गया है लेकिन सर 100% सरकारी ऑफिस था और सरकार की 100% दखल था इसमें उस जमाने में तो जीआईसी होल्डिंग कंपनी हुआ करती थी। बाकी कंपनिया थी नेशनल इंश्योरेन्स, न्यू इंडिया, ओरियण्टल, यूनाइटेड ये सारी हमारी सब्सिडियरी कम्पनी थी। हम लोग इनको भी देख रहे है। हम लोग करते थे जिस दिन से लागू हुआ है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- ये जो आपने रिप्लाई में पेज न. 7 पर जो ओबीसी का प्रतिशत दिखाया है इसमं ओबीसी के वह कैंडिडेट भी शामिल है, जो ऑन मेरिट पर सिलेक्ट हुए थे?

श्री सुब्रहमण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- सर, ऑन मेरिट कैंडिडेट को तो हम जनरल मानते है। इसमें ऐड नहीं करते है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- जब से आरक्षण सरकार ने लागू किया है तभी से अगर जीआईसी ने आरक्षण लागू किया था तो ओबीसी का प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है, 27% कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है। 31.03.2020 को ग्रेड ए में 19.66% और ग्रेड सी में 16.21% है।

श्री सुब्रहमण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- ग्रेड सी में रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- जब से आरक्षण लागू है तब से आपने किसी का रिक्रूटमेंट किया है?

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- सब-स्टाफ में तो रिक्रूटमेंट बंद हो गया है लगभग 15-20 वर्ष हो गये है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- ग्रेड-ए में।

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- ग्रेड-ए में जारी है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- क्या कारण है कि ओबीसी का रिजर्वेशन 27% पूरा नही हो पा रहा है। जबकि आरक्षण लागू हुए पूरे 27 वर्ष हो गये।

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- हर वर्ष जब हम रिक्रूट करते हैं तभी 27% फुलफिल कर देते है सर। ग्रेड ए में सिर्फ इसी वर्ष 8 लोगों को सार्टफॉल हो गया है ।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- आप करते तो थे लेकिन अगर ठीक प्रकार से नियमानुसार हुआ होता तो ये 27 वर्ष में 27% तो पूरा हो जाना चाहिये था। 27% पूरा ना होने का कारण आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को शपथ पत्र पर लिखकर देंगे।

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- ठीक है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- प्रश्न संख्या 9(बी) के उत्तर में बताया है कि इसमें असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट कैरी फॉरवर्ड हुआ है और 9 (सी) के उत्तर में लिखा है कि In view of non-availability of candidates as per prescribed qualifying marks.

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- जी हां सर यह सही है। इस वर्ष जो पासइंग मार्क निर्धारित था उसमें कैंडिडेट नहीं मिले हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- ओबीसी के लिये आप क्या relaxation देते है?

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- Age relaxation देते है हम और मार्क तो दोनों का same ही है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- ये 8 पद क्यों बार-बार कैरी फारवर्ड हो रहा है?

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- हम लोगों की सर Qualifying marks के तहत कैंडिडेट नहीं मिले है सर। अभी जो अगला रिक्रूटमेंट होगा तब ही हम fill कर देंगे सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- आपने जो इसमें जवाब दिया है in view of non-availability of candidates as per prescribed qualifying marks. इसमें आप आयोग को शपथ-पत्र पर उपलब्ध कराये और जो आपने इंटरव्यू किया होगा तो इसमें मार्कशीट की सर्टिफाइड कॉपी 24 घंटे के अन्दर आयोग को भेजेंगे।

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट का।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- सबका भेजे। इसका पूरा प्रोसेस आपने किस प्रकार से किया है इसको पूरा आयोग देखना चाहता है। 2018, 2019 का।

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- ठीक है सर, 2019 में कैंडिडेट हमे मिला नहीं था।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- ठीक है आप 2019 का भेजिये।

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- ठीक है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- प्रश्न संख्या 10(ए) में लिखा गया है Are rosters being maintained for direct recruitment for all posts as per order on the Subject? Date of last updating of Roster. Please enclose copy of approved rosters. तो आपने उसमें डेट दिया है 31.12.2019 को लास्ट अपडेशन हुआ है रोस्टर का, लेकिन जो रोस्टर मांगा गया था वो रोस्टर ना देना का क्या कारण है?

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- रोस्टर दे दिया है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- अगर दे दिया होता तो हम आपसे क्यों मांगते।

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- रोस्टर तो अटैच करके भेजा है। हमारा पुनः निवेदन है कि एक बार तुरंत फोरवर्ड कर देंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- और 3 डेट नोट करिये, 08.09.1993, 02.07.1997 और 31.12.1997, इन तीनों कट ऑफ डेटस का रोस्टर रजिस्टर आयोग को उपलब्ध कराया जाये।

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- ठीक है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- आपने अपने रिप्लाई में कहा है नम्बर ऑफ रोस्टर, नम्बर ऑफ ओबीसी Pre-recruitment & Pre-promotional training provided. Please mentioned separately. आपने जवाब दिया है कि Pre-recruitment training दिया जाता है।

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- हां जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- तो इस जवाब को जो आपने लिखा है इसको शपथ पत्र पर दीजिये। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यह भी जानना चाहता है कि आपके यह जनरल मैनेजर के कितने पोस्ट हैं?

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- 10 है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- 10 पोस्ट में ओबीसी कितने हैं?

श्री देवेश श्रीवास्तव, सीएमडी, जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशनः - 10 का अप्रूवल है लेकिन अभी 6 ही हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- 6 मे से ओबीसी के कितने हैं?

श्री देवेश श्रीवास्तव, सीएमडी, जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशनः - अभी ओबीसी वाले नहीं है कोई भी।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः-ओबीसी का कोई नहीं हैं और आपके यहा डीजीएम कितने है?

श्री देवेश श्रीवास्तव, सीएमडी, जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशनः - 16 है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- 16 में से ओबीसी के कितने है?

श्री देवेश श्रीवास्तव, सीएमडी, जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशनः –काउंट करके बताते है आपको।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- काउंट कर लिजिये।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- एजीएम कितने है आपके यहां?

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- 26 सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- इसमें ओबीसी के कितने हैं?

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- मैनेजिंग कैडर में कैटेगरी वाईज सब हम आप को दे देंगे सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- चीफ मैनेजर कितने है?

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- 67 सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- सीएमडी साहब किसी को तुरंत लगाइये की चीफ मैनेजर मे कितने ओबीसी है, एजीएम में कितने ओबीसी है, डीजीएम में कितने ओबीसी है, ये तुरंत गिनकर बताइये।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- ये लाईसन ऑफिसर किस रैंक के अधिकारी हो सकते है और इनकी नियुक्ति का क्या नियम है, चीफ लाईसन ऑफिसर किस रैंक का अधिकारी होना चाहिये। इस नियम को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जानना चाहता है।

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- हमारा चीफ लाईसन ऑफिसर तो डीजीएम रैंक का है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- नहीं नियम क्या है?

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- हमेशा एजीएम होते है, नही तो डीजीएम होते है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- आपके यहां यही नियम है।

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- हां जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- रीजनल ऑफिस में ओबीसी लाईजन ऑफिसर नियुक्त है?

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- हमारे पास रीजनल ऑफिस नहीं है सर। जीआईसी का एक ही ऑफिस है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- सिर्फ एक हैड आफिस है?

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- आपने यह भी कहा है कि पिछले 5 वर्षों में ओबीसी का कोई कंप्लेन आप लोगों ने रिसीव नहीं किया है।

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- हां जी।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- ये कथन सत्य है?

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- इसका भी जवाब शपथ पत्र पर देने का कष्ट करें।

श्री देवेश श्रीवास्तव, सीएमडी, जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशनः - श्री सोनावाले साहब भी है मौजूद वो हमारे चीफ लाईसन ऑफिसर भी है और डीजीएम पद के अधिकारी भी है तो वो भी कंफर्म कर लेंगे कि कोई कंप्लेन्ट है नहीं।

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- सर उन्होने चीफ लाईसन ऑफिसर से कंफर्म कर के वो लेटस्ट कॉपी भी भेज दिया है आपको।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- ठीक है शपथ पत्र पर जवाब दीजिये।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- प्रश्न संख्या 21ए में बताया है कि आप लोग ओबीसी का सेपेरेट इंटरव्यू कराते है, अलग टाइम स्लोट देते है, इसकी कानूनी वैधानिकता क्या है और इसका नियम क्या है?

श्री सुब्रहमण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- नियम चैक करेंगे सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- Please give this reply on affidavit.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- डीपीसी के सदस्यों की सूची मांगी गई थी, वो सूची ना देने का कारण क्या है? पिछली 3 बार की डीपीसी में सम्मिलित ओबीसी सदस्यों की जानकारी व उनके ओबीसी सर्टिफिकेट आयोग को उपलब्ध कराये जाये।

श्री सुब्रहमण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- Ok Sir.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- ये जो ओबीसी के कर्मचारियों को आप लोगों ने विदेश ट्रेनिंग पर भेजा है उनकी सूची और उनका ओबीसी सर्टिफिकेट आयोग को उपलब्ध कराया जाये।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- प्रश्न संख्या 27 पर आते है Whether a chapter about implementation of reservation policy for Other Backward Classes (OBC) is incorporated in the Annual Report in the Organization ? If not, the reasons thereof. A copy of the latest Annual Report be enclosed. आपने इसका जवाब दिया है कि Separate chapter about implementation of Reservation Policy is incorporated in the Annual Report. Please give this reply on Affidavit.

श्री सुब्रहमण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- Whether CVC has issued instructions for effective and rotational transfer of officials and staff posted in sensitive positions in the year of 1999, 2001, 2008 and 2012 respectively;

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- We have a job rotation policy. We are following the CVC guidelines.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- Whether the General Insurance Corporation of India Limited and its subsidiaries have identified the sensitive posts and has been effecting rotational transfer, if so, please give the post-wise identification and transfer of sensitive posts since three years on Affidavit.

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- GIC एक ही entity है, यहां ट्रांसफर नही होते है एक ही ऑफिस है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- पूरे देश में एक ही ऑफिस है।

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- हाँ जी सर, दिल्ली में एक लाईसन ऑफिस है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- Whether CMD, General Insurance Corporation of India Limited affirms that he has complied all the rules and regulations, code and conduct and Ethics, rules of reservation and he has not violated any provision made for drafting and finalization of Annual Report of General Insurance Corporation of India Limited and its subsidiaries?

श्री देवेश श्रीवास्तव, सीएमडी, जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशनः - Yes Sir.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- Whether a separate register / roster register shall be maintained for appointments by direct recruitment and promotion.

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- Yes Sir.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- Whether in case of promotion, separate registers / roster registers shall be maintained for each mode of promotion viz. limited competitive examination, selection, non-selection, etc.

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- हां जी।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- Whether a common register / roster register shall be maintained for permanent appointments and temporary appointments likely to become permanent or to continue indefinitely.

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- हमारे पास सिर्फ परमानेंट वाला है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- Whether immediately after an appointment is made, the particulars of the person appointed shall be entered in the register / roster register in the appropriate columns and the entry signed by the appointing authority or by an officer authorized to do so.

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- हां जी सर, appointing authority, चीफ लाईसन ऑफिसर सभी साइन करते हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- Whether no gap shall be left in completing the register / roster register.

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- Yes sir.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- Whether the register / roster register shall be maintained in the form of a running account year after year.

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- Yes Sir.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- Whether in case of cadres where reservation is given by rotation, fresh cycle of roster shall be started after completion of all the points in the roster.

श्री सुब्रह्मण्यम रामाकृष्णा, एचआर विभागः- Yes Sir.

DS

चीफ लाईसन ऑफिसर- मैं चीफ लाईसन ऑफिसर हूँ और मेरा डीजीएम का पोस्ट है और हम जो भी रोस्टर बनाते हैं 31 दिसम्बर को बनाते है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिये अलग होता है, प्रमोशन के लिये अलग होता है। हर साल हम लोग ओबीसी के अंडर सैक्रेटरी और एससी/एसटी के अंडर सैक्रेटरी इनका हम लोग साइन लेते हैं रोस्टर के ऊपर इयरली और हम लोग कंप्लेन्ट रजिस्टर भी मेंटेन भी करते है ओबीसी के लिये एससी/एसटी के लिये। मैं साइन करता हूँ उसके ऊपर, मैं खुद मिनिस्ट्री के पास जाता हूँ रोस्टर साइन के लिये और कंप्लेन्ट रजिस्टर पर भी वह लोग साइन करते है और रोस्टर भी साइन करते हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- Whether after every recruitment year, an account shall be noted at the end of the last entry of the year in the reservation register indicating representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and details of backlog reserved vacancies etc.

चीफ लाईसन ऑफिसर- अभी तो पोस्ट-बेस्ड रोस्टर है सर, जब भी हम रिक्रूटमेंट करते है उसके लिए भी रोस्टर मेंटेन करते है। हम रिजर्वेशन की वेकैंसी निकालते है वह पोस्ट-बेस्ड रजिस्टर के ऊपर निकालते है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- Whether General Insurance Corporation of India Ltd. has/had recommended as their nominee-directors on the board of various companies; if so, the details thereof during the last 10 years along with details of nominee-directors belonging to OBCs on the board of various companies?

चीफ लाईसन ऑफिसर- जीआईसी और 4 सब्सिडियरी कंपनी है इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिप्सा। और जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का अप्वाइंटमेंट होता है उसको जिप्सा करती है। कंपनी-वाईज सीमडी का, लाईसन ऑफिसर का किसी का भी समझो, इसके बारे में आपको जिप्सा से कांटेक्ट करना पड़ेगा सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- आप लोग किसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नॉमिनी करते है या नही?

चीफ लाईसन ऑफिसर- नही हम लोग नही करते है।

श्री देवेश श्रीवास्तव, सीएमडी, जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशनः - सर नॉमिनी डायरेक्टर हम नही करते है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- ठीक है जो 4-5 चीजे मांगी गयी है एक तो एनुअल रिपोर्ट में ओबीसी चैप्टर के संबंध में जो ऐफिडेविट मांगा गया है, सेपरेट इंटरव्यू के संबंध में जो ऐफिडेविट मांगा गया है, कोई कंम्पलेन्ट पिछले 5 वर्षों से ओबीसी के कर्मचारियों से प्राप्त नही हुई है यह शपथ-पत्र पर, प्री-रिक्रूटमेंट व प्री-प्रमोशनल ट्रेनिंग देते है यह शपथ-पत्र पर, रोस्टर न देने का कारण शपथ-पत्र पर, Non-availability of candidates इसके संदर्भ में ऐफिडेविट और तीन कट-ऑफ डेट 08.09.1993, 02.07.1997, 31.12.1997 के रोस्टर, अस्सिटेंट मैनेजर-1 2018, 2019 का रोस्टर, 2018,2019,2020 के सभी लेवल के रिक्रूटमेंट व प्रमोशन के रोस्टर आयोग को उपलब्ध कराये जाए। 08.09.2020 तक आयोग को ऐफिडेविट व बाकी जानकारी 1 सप्ताह के अन्दर आयोग को उपलब्ध कराया जाए।

सुनवाई सम्पन्न।

देवेश

(श्री देवेश श्रीवास्तव)
सीएमडी, जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड

देवेश श्रीवास्तव / Devesh Srivastava
GIC Re अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/CMD

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

मिसिल संख्या रा.पि.व.आ./08/01/232-B/2020-केएसपी

जनरल इन्श्योरेन्स कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया के अधिकारीगण के साथ दिनांक 22.07.2021 को हुई सुनवाई का कार्यवृत

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण -:

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री राजेश कुमार, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
3. श्री रामायण यादव, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
4. श्री एन. बी. सोनावाने, उप महाप्रबंधक एव मुख्य संपर्क अधिकारी (ओबीसी),जनरल इन्शुरन्स कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया
5. श्रीमती एम. एस. सावंत, मुख्य प्रबंधक, जनरल इन्श्योरेन्स कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया
6. श्रीमती स्वाति सिंह,वरिष्ठ प्रबंधक, जनरल इन्श्योरेन्स कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया

सुनवाई का विस्तृत विवरण:-

1. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया है कि जनरल इन्श्योरेन्स कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया के मुख्य संपर्क अधिकारी रोस्टर रिजस्टर के बारे में क्या-क्या जानकारी जानते है, इस संबंध में मुख्य संपर्क अधिकारी द्वारा बताया गया कि रोस्टर रिजस्टर की प्रत्येक वर्ष चेकिंग की होती है।
2. माननीय आयोग द्वारा जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया के मुख्य संपर्क अधिकारी से पूछा गया कि रोस्टर रिजस्टर में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कौन-कौन से बिंदु निर्धारित होते है, इस संबंध में मुख्य संपर्क अधिकारी ने माननीय आयोग को अवगत कराया कि हम मॉडल रोस्टर रिजस्टर देखकर कार्य करते हैं। माननीय आयोग द्वारा मुख्य संपर्क अधिकारी से कहा गया कि वह आयोग को शपथ-पत्र पर लिखकर प्रस्तुत करें कि मॉडल रोस्टर रिजस्टर देखकर कार्य किया जाता है

एवं उन्हें वर्तमान में जानकारी नहीं है कि रोस्टर रिजस्टर में किस बिंदु पर अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारित होता है।

3. ~~माननीय आयोग द्वारा बरिष्ठ प्रबंधक से पूछा गया कि क्या उनको जानकारी है कि रोस्टर रिजस्टर में अन्य पिछड़ा वर्ग किस किस बिंदु पर निर्धारित होता है, इस पर बरिष्ठ प्रबंधक ने माननीय आयोग को अवगत कराया उन्हे इसकी कोई जानकारी नहीं है।~~

हम निम्नलिखित परिवर्तनों का सुझाव देते हैं:

माननीय आयोग द्वारा मुख्य प्रबंधक से पुछा गया की OBC आरक्षण के बारे में वह क्या जानती है और क्या उनको जानकारी है की रोस्टर रजिस्टर में अन्य पिछड़ा वर्ग किस बिंदु पर निर्धारित होता है। इस पर मुख्य प्रबंधक ने माननीय आयोग को अवगत कराया की रिक्रूटमेंट में 27% रिजर्वेशन होता है पर उन्हें पिछड़ा वर्ग किस बिंदु पर निर्धारित होता है, उसकी जानकारी नहीं है ।

जीआईसी के दिल्ली संपर्क कार्यालय की वरिष्ठ प्रबंधक केवल मानव संसाधन विभाग के मुख्य संपर्क अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधक अधिकारी के अनुरोध पर उनके साथ थी और वह मानव संसाधन विभाग और इसके नीति कार्यान्वयन का हिस्सा नहीं हैं। साथ ही, उन्होंने जीआईसी दिल्ली संपर्क कार्यालय के कर्मचारी के रूप में अपनी भूमिका के बारे में उपस्थित सदस्यों को पहले ही बता दिया था।

4. माननीय आयोग कहा गया की जीआईसी द्वारा बताया गया है कि "27% reservation is implemented and as per the data provided by GIC, only 19.6%OBC reservation in Group -A Category and 16.2% in Group-C Category. So how can you say that 27% reservation is implemented" इस पर मुख्य संपर्क अधिकारी ने आयोग को अवगत कराया कि रोस्टर रिजस्टर के हिसाब से भर्ती की जाता है।आयोग द्वारा मुख्य संपर्क अधिकारी से यह जानकारी शपथ-पत्र पर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।
5. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया की जनरल इन्श्योरेन्स कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया में मुख्य संपर्क अधिकारी बनाने का क्या नियम है या डीएफएस/डीओपीटी के किस नियम से मुख्य संपर्क अधिकारी बनाया जाता है, इस संबंध में मुख्य संपर्क अधिकारी द्वारा बताया गया कि मुख्य संपर्क अधिकारी बनने के लिए महाप्रबंधक होना जरूरी है। इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा पूछा गया की क्या आप महाप्रबंधक है, इस संबंध में मुख्य संपर्क अधिकारी ने बताया गया कि वह महाप्रबंधक नहीं है।
6. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि जब जनरल इन्श्योरेन्स कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया का वर्ष 2005 में रोस्टर रिजस्टर destroy हुआ था तब जनरल इन्श्योरेन्स कारपोरेशन ऑफ़ इंन्डया ने डीएफएस को इसकी सूचना दी थी या नहीं दी थी। इस संबंध में एचआर (हेड) जनरल इन्श्योरेन्स कारपोरेशन द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2005 में इसकी सूचना डीएफएस को नहीं दी गयी थी।

7. माननीय आयोग द्वारा कहा गया कि जनरल इन्श्योरेन्स कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया को वित्तीय सेवा विभाग द्वारा आरक्षण से संबंधित जितने भी दिशानिर्देश आते हैं उन सभी की सत्यापित प्रति आयोग को उपलब्ध करायी जाएं।

8. जनरल इन्श्योरेन्स कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया द्वारा रोस्टर destroy होने पर अगर डीएफएस को सूचना दी गई थी उसकी प्रतिलिपि आयोग को उपलब्ध करायी जाएं।

उपरोक्त सभी अपेक्षित जानकारी आयोग को 03 कार्यदिवस में उपलब्ध करायी जाएं।

स्वाति सिंह
Swati Singh
वरिष्ठ प्रबंधक
GIC Re Senior Manager

(श्रीमती स्वाति सिंह)
वरिष्ठ प्रबंधक
जनरल इन्श्योरेन्स कारपोरेशन
ऑफ़ इंडिया

(श्रीमती एम. एस. सावंत)
मुख्य प्रबंधक,
जनरल इन्श्योरेन्स कारपोरेशन
ऑफ़ इंडिया

(श्री एन. बी. सोनावाने)
उप महाप्रबंधक व मुख्य संपर्क अधिकारी
(ओबीसी),
जनरल इन्श्योरेन्स कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग